मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 31 मार्च 1973 में प्रकाशित

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (यात्रा तथा दैनिक भत्ता) नियम 1973

(अधिनियम की धारा 8 देखिये)

1. (1) यह नियम मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (यात्रा तथा दैनिक भत्ता) नियम 1973 कहलायेंगे.

*(2) नियम 4 को छोड़कर ये नियम 12 जनवरी 1973 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे और नियम 4, 2 सितम्बर 1972 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो,--

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972) ;

(ख) (एक) अध्यक्ष के संबंध में, "शासकीय निवास स्थान" से अभिप्रेत है यथा स्थिति, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट अध्यक्ष का निवास स्थान.

(दो) उपाध्यक्ष के संबंध मे "शासकीय निवास स्थान" से अभिप्रेत है यथा स्थिति अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) या धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट उपाध्यक्ष का निवास स्थान.

3. नियम 4 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, मध्यप्रदेश मंत्री (यात्रा तथा दैनिक भत्ता) नियम, 1972 विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार की वे किसी मंत्री के मामले में लागू होते है.

** [4 अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिये "लोक कार्य से किये गये दौरे" में निम्नलिखित यात्राओं में से कोई भी यात्रा सम्मिलित है:-

(क) कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसिएशन आफ लन्दन द्वारा विश्व के किसी भी भाग में आयोजित किसी सम्मेलन या विचार गोष्ठी (सेमीनार) में उपस्थित होने हेतु की गई यात्रा;

(ख) विधान मण्डलों के पीठासीन अधिकारियों के उस सम्मेलन या उनकी समिति में, जो कि भारत के किसी भी भाग में हुआ हो/हुई हो, उपस्थित होने हेतु की गई यात्रा;

(ग) भारत में या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भारत में कहीं भी आयोजित किये गये किसी सार्वजनिक या अन्य समारोह में सम्मिलित होने हेतु की गई यात्रा;

(घ) भारत में किसी अन्य विधान मण्डल के परिदर्शन के संबंध में की गई यात्रा;

(द) राज्य के भीतर की गई निम्नलिखित यात्राएं:-

(एक) राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा आयोजित किये गये किसी सार्वजनिक या अन्य समारोह में सम्मिलित होने हेतु की गई यात्रा;

(दो) राज्य सरकार द्वारा हाथ में लिये गये विकास क्रिया कलापों के स्थलों या स्थानों का परिदर्शन करने हेतु की गई यात्रा].

* 5. तत्कालीन विधि विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1053-84-1 (एक), दिनांक 29 जनवरी 1957 के अधीन प्रकाशित अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के यात्रा तथा दैनिक भत्ते के भुगतान संबंधी नियम निरस्त हो जायेंगे.

* अधिसूचना क्रमांक एफ-4-158 (1)-73 इक्कीस-अ (सं.का.), दिनांक 23 अप्रैल 1973 द्वारा संशोधित.

** विधि विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5968-एफ-4-79-सं.का.- इक्कीस-अ, दिनांक 27 फरवरी 1979 द्वारा प्रतिस्थापित. "मध्यप्रदेश राज्यपत्र" (असाधारण), दिनांक 28 फरवरी 1979 में प्रकाशित.